26.2.202

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। आज्ञा मिसल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर हम फील दावा रहे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)
पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिह परमार आर.ए.एस

मु.न. 87/2014 | किस्म मुकदमा धारा 212 आर.टी.एक्ट | ता.रजू 1.12.2014

उनवान

1 शकूर पुत्र इब्राहिम
2 वहाव खॉ
3 हमीद खॉ
4 मुन्नवर खॉ
5 असलम खॉ
} पिसरान सत्तार
6 अख्तर पुत्र गफ्फार
7 नजमुद्धीन
8 फकरूद्धीन
9 शाहबुद्वीन
10 रहीमुद्धीन
11 खानउद्धीन
12 कमालउद्धीन
} पिसरान कमरूद्धीन
13 कुलाम हैदर
14 शिजाउद्धीन
15 सलाउद्धीन
16 अलाउद्धीन
17 कुतबुद्वीन
18 मईनुद्धीन
} पिसरान गुलामनवी
19 कमालुद्धीन
20 जलालुद्धीन
21 जाबुद्धीन
} पिसरान निजामुद्धीन

} सभी जाति मुसलमान निवासी करौली तहसील व जिला करौली

——सायलान

बनाम

1 श्रीमति लाड बाई पत्नि तुलसीराम जाति माली निवासी मैग्जीन मण्डरायल रोड करौली तहसील व जिला करौली
2 श्रीमति रूपबाई पत्नि किशन लाल जाति माली निवासी पांडे का कुआ करौली तहसील व जिला करौली
3 मुंशी पुत्र नारायण जाति माली निवासी पाडे का कुआ करौली तहसील व जिला करौली
4 तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली —गैरसायलान

निर्णय दिनांक 26.02.2020

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 573,569, कुल किता 2 कुल रकवा 5 वीधा 3 विस्वा सायलान के पुर्वजो के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्बत 2015 मे दर्ज है। सायलान के पूर्वजो का स्वर्गवास हो चुका है सायलान आराजी के खातेदार व काश्तकार है काबिज है खसरा नम्बर 569 मे से राज्यकीय सडक उपयोग मे आ चुकी है और उसका हाल खसरा नम्बर 569/2 रकवा 12 विस्वा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है एवं खसरा नम्बर 569/1 रकवा 1 वीधा 18 विस्वा सायलान के खातेदारी व कब्जे की है। जिसका मुआवजा सायलान को आज तक प्राप्त नही हुआ है। इसके सम्बन्ध मे पृथक से कार्यवाही की जा रही है खसरा नम्बर 573 एवं 569/1 की भूमि से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। किन्तु गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 जो चालक किस्म के व्यक्ति है ने बिला आधार सायलान से छिपाते हुये उक्त आराजीयात के अंकन राजस्व कर्मियो से मिलकर गैरकानूनी तरिके से अपने नाम करा लिये है जो सायलान के अधिकारो पर बेअसर है। गैरसायल नम्बर 1 ता 3 विवादित आराजीयात के उपयोग उपभोग मे बाधा ना डालने के लिए दिनांक 13.10.2014 को कहा सुनी तो राजस्व रिकार्ड के आधार पर गैरसायलान व्यवधान

Scanned with CamScanner

डालने पर आमादा हो गये। इसलिए सायलान गैरसालयान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि गैरसायलान उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। सन 1977 से गैरसायलान खाता व कब्जा मौके पर मौजूद है बिजली विभाग नल विभाग मे मौजूद है सायलान गैरसायलान के कब्जे से बाकिफ है 38 साल के समय से ऐताराज नही किया है। वादग्रस्त आराजी को सायलान के पूर्वज ईब्राहीम गुलाबनबी अलीमुद्धीन, कमरूद्धीन व निजामुद्धीन ने जुबानी मुन्शी गैरसायल को दिनांक 1.11.1977 से पूर्व जबानी 90/–रुपये मे बेच कर कब्जा करा दिया याददास्ती रसीद 90/–रुपये की देदी जो नामान्तकरण कराते वक्त दिनांक 1.11.1977 को राजस्व अभियान मे पेश करके कब्जा मुन्शी गैरसायल मानकर नामान्तकरण मुन्शी के हक मे तस्दीक करा दिया तब ही से गैरसायल मुन्शी काबिज है। कुछ जमीन सरकार ने आवाप्त की जिसका मुआबजा मुन्शी गैरसायल को मिला मुन्शी ने कुछ हिस्सा गैरसायल लाडबाई व रूपबाई को रजिस्ट्रर्ड वयनामा से विक्रय कर दिया बिजली कनेक्शन है। गैरसायलान बिल अदा करते है। सायलान व गैरसायलान के विरूद्व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नही है। अन्त मे प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस प्रार्थना पत्र वकील उभय पक्ष की सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायलान का बहस मे कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 573,569, कुल किता 2 कुल रकवा 5 वीधा 3 विस्वा सायलान के पुर्वजो के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्बत 2015 मे दर्ज है। सायलान के पूर्वजो का स्वर्गवास हो चुका है सायलान आराजी के खातेदार व काश्तकार है काबिज है खसरा नम्बर 569 मे से राज्यकीय सडक उपयोग मे आ चुकी है और उसका हाल खसरा नम्बर 569/2 रकवा 12 विस्वा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है एवं खसरा नम्बर 569/1 रकवा 1 वीधा 18 विस्वा सायलान के खातेदारी व कब्जे की है। जिसका मुआवजा सायलान को आज तक प्राप्त नही हुआ है। इसके सम्बन्ध मे पृथक से कार्यवाही की जा रही है खसरा नम्बर 573 एवं 569/1 की भूमि से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। किन्तु गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 जो चालक किस्म के व्यक्ति है ने बिला आधार सायलान से छिपाते हुये उक्त आराजीयात के अंकन राजस्व कर्मियो से मिलकर गैरकानूनी तरिके से अपने नाम करा लिये है जो सायलान के अधिकारो पर बेअसर है। गैरसायलान की यह कार्यवाही अनाधिकार है जिससे सायलान के हक हकूक पर भारी आधात है और सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है सायलान गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है।

वकील गैरसायलान का बहस मे कथन है विवादितउक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। सन 1977 से गैरसायलान खाता व कब्जा मौके पर मौजूद है बिजली विभाग नल विभाग मे मौजूद है सायलान गैरसायलान के कब्जे से बाकिफ है 38 साल के समय से ऐताराज नही किया है। वादग्रस्त आराजी को सायलान के पूर्वज ईब्राहीम गुलाबनबी अलीमुद्धीन, कमरूद्धीन व निजामुद्धीन ने जुबानी मुन्शी गैरसायल को दिनांक 1.11.1977 से पूर्व जबानी 90/–रुपये मे बेच कर कब्जा करा दिया याददास्ती रसीद 90/–रुपये की देदी जो नामान्तकरण कराते वक्त दिनांक 1.11.1977 को राजस्व अभियान मे पेश करके कब्जा मुन्शी गैरसायल मानकर नामान्तकरण मुन्शी के हक मे तस्दीक करा दिया तब ही से गैरसायल मुन्शी काबिज है। कुछ जमीन सरकार ने आवाप्त की जिसका मुआबजा मुन्शी गैरसायल को मिला मुन्शी ने कुछ हिस्सा गैरसायल लाडबाई व रूपबाई को रजिस्ट्रर्ड वयनामा से विक्रय कर दिया बिजली कनेक्शन है। गैरसायलान बिल अदा करते है। सायलान व गैरसायलान के विरूद्व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नही है। सायलान का आराजीयात मे कोई हक हकूक नही है। ना ही सायलान का कब्जा है सायलान को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जाये।

बहस वकील सायलान का मनन किया गया पत्रावली प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सम्बत 2068–71 व प्रस्तुत लगान रसीद व फोटो वाद ग्रस्त आराजी वयनामा व नामान्तकरण नम्बर 357 से वादग्रस्त आराजी गैरसायलान के खातेदारी मे दर्ज है। इस बाबत गैरसायलान ने अपना शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। इस प्रकार गैरसायलान का वादग्रस्त आराजीयात पर साधिकार कब्जा होना एवं सायलान का बादग्रस्त आराजी मे कोई हक हकूक खातेदारी नही

Scanned with CamScanner

होना पृकट होता है। सायलान के किसी हक हकूक पर आधात नही है और सायलान को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर गैरसायलान को जो उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी। सायलान का प्राईमाफ्रेसी केस प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी से सावित नही होता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्व गैरसायलान खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.04.09 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: